अध्याय - 16
ग्रामीण अर्थव्यवस्था व
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना-मध्यप्रदेश

हम पढ़ेंगे

16.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की आवश्यकता
16.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य
16.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की विशेषताएँ
16.4 योजना क्रियान्वयन के मुख्य पहलू
16.5 योजना के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्य
16.6 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का महत्व

भारत के गाँवों के बारे में गाँधीजी ने कई बातें कहीं हैं। जिनमें से कुछ बातों पर हम यहां विचार कर सकते हैं। जैसे- पहली, ''भारत उसके शहरों में नहीं उसके गाँवों में रहता है।'' दूसरी, ''अगर गाँव को नुकसान पहुँचता है तो भारत को भी नुकसान होगा।'' तीसरी, ''भारत उसके कुछ शहरों में नहीं मिलेगा, बल्कि मिलेगा इसके सात लाख गाँवों में- क्या हमने कभी यह सोचने की कोशिश की है कि इन लोगों को खाने को पर्याप्त मिलता है या नहीं और यह अपना तन ढँक पाते हैं या नहीं।'' अर्थात् ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास ही भारत का सच्चा विकास है। 2011 की जनगणना से हमें पता चलता है कि भारत की 68.8% आबादी गाँव में रहती है अर्थात् हमारी आबादी का अभी भी एक बड़ा भाग गाँवों में निवास करता है। इसीलिए ग्रामीण जीवन इतना समृद्ध होना चाहिए कि लोगों को ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार उपलब्ध हो सके, जिससे लोगों को गाँव के बाहर जाने की आवश्यकता न पड़े। ग्रामीण इलाकों में रोजगार के अवसर उपलब्ध हों ताकि अन्य भौतिक और सामाजिक बुनियादी सुविधाएँ उपलब्ध कराई जाएँ, जिससे पलायन की मजबूरी वाले कारणों पर काबू पाया जा सके।

16.1 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना की आवश्यकता

भारत के राजपत्र 31 दिसम्बर 2009 के अन्तर्गत राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना 2005 का नाम 02 अक्टूबर 2010 से महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 किया गया है।

भारतीय अर्थव्यवस्था में विगत तीस वर्षों (1973-2003) में व्यापक आर्थिक परिवर्तन हुए हैं। इन परिवर्तनों के फलस्वरूप सकल घरेलू उत्पाद में कृषि, निर्माण एवं सेवा क्षेत्रों के योगदान में व्यापक परिवर्तन हुआ है। सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान करीब आठ गुना और सेवा क्षेत्र का योगदान करीब ग्यारह गुना बढ़ गया है, किन्तु उत्पादन वृद्धि की तुलना में इन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर नहीं बढ़े हैं। विनिर्माण क्षेत्र में मात्र ढ़ाई गुना और सेवा क्षेत्र में मात्र तीन गुना ही रोजगार के नए अवसर सृजित हुए हैं। वर्ष 1973 में जहाँ सकल घरेलू उत्पाद में कृषि क्षेत्र का योगदान 45 प्रतिशत के करीब था, वहीं विनिर्माण क्षेत्र का 30 प्रतिशत और सेवा क्षेत्र का 25 प्रतिशत योगदान था, जबकि कृषि क्षेत्र में 75 प्रतिशत व्यक्तियों को रोजगार मिला हुआ था, और मात्र 10 प्रतिशत को विनिर्माण क्षेत्र में और 15 प्रतिशत को सेवा क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध था। वर्ष 2003 में सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पादन में योगदान बढ़कर 50 प्रतिशत हो गया और विनिर्माण क्षेत्र का करीब 30 प्रतिशत योगदान हो गया है। जबकि कृषि क्षेत्र का योगदान घटकर 22 प्रतिशत ही रह गया है। किन्तु कृषि क्षेत्र में अभी भी 60 प्रतिशत व्यक्ति रोजगार में लगे हुए हैं। इससे स्पष्ट है कि कृषि क्षेत्र में कार्यरत व्यक्ति आवश्यकता से अधिक है। इनमें से यदि कुछ लोगों को अन्यत्र रोजगार से जोड़ा जाए तो भी कृषि उत्पादन

प्रभावित नहीं होगा। यह स्थिति हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी के स्वरूप को बताती है, जिसमें प्रच्छन्न बेरोजगारी, आंशिक बेरोजगारी और अल्प बेरोजगारी की समस्याएँ व्याप्त हैं। इन समस्याओं के कारण ग्रामीण परिवारों को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ता है –

1. रोजगार के पर्याप्त साधनों की कमी और कृषि में आवश्यकता से अधिक व्यक्तियों के लिप्त रहने के कारण ग्रामीण क्षेत्र में श्रम का उचित मूल्य नहीं मिलता है। इससे ग्रामीण परिवार गरीबी एवं भूख जैसे समस्याओं से जूझते रहते हैं।
2. ग्रामीण अंचल में रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण ग्रामीण परिवार आर्थिक रूप से असुरक्षित रहते हैं।
3. स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध नहीं होने के कारण आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीणजनों को नगरीय क्षेत्रों की ओर पलायन करने के लिए विवश होना पड़ता है, जिनसे अनेक सामाजिक एवं आर्थिक समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
4. रोजगार के सीमित अवसर होने के कारण ग्रामीण परिवार की महिलाओं के श्रम का उचित मूल्यांकन और दोहन भी नहीं हो पाता है।
5. आजीविका के लिए मूलभूत सुविधाओं की कमी के कारण भी रोजगार के नये अवसर विकसित नहीं होते हैं। इससे परिवारों का जीवन स्तर भी सुधर नहीं पाता है।

उपरोक्त समस्याओं के समाधान के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि ग्रामीण परिवारों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जाए। इसके लिए सुज्ञात तरीका है माँग पर राहत कार्य रोजगार उपलब्ध कराने के प्रबंध करना इसके साथ ही ग्रामीण अंचल में आजीविका के स्थाई स्त्रोत विकसित किये जाएँ। 'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' इन्हीं उद्देश्यों के आधार पर निर्मित किया गया है।

16.2 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य

- इस योजना का उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्र में निवासरत प्रत्येक परिवार के एक वयस्क व्यक्ति को जो अकुशल मानव श्रम करने हेतु तैयार हैं, एक वित्तीय वर्ष में कम-से-कम 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्र में स्थायी परिसंपत्तियों का सृजन करना।

16.3 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, मध्यप्रदेश की विशेषताएँ

- योजना में रोजगार की उपलब्धता, प्रथम आओ, प्रथम पाओ के सिद्धांत पर आधारित है।
- रोजगार, या तो क्षेत्र में पहले से चल रहे रोजगार मूलक कार्यों में दिया जाता है अथवा पंचायत स्तर पर शेल्फ ऑफ प्रोजेक्ट में से कार्य आरंभ करते हुए दिया जाता है। इसके अतिरिक्त किसी अन्य एजेंसी द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्य में भी रोजगार उपलब्ध कराया जा सकता है।
- रोजगार प्रदान करते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि रोजगार आवेदक के निवास के 5 कि.मी. की परिधि में ही हो। 5 कि.मी. की परिधि में रोजगार न होने की स्थिति में जनपद स्तर पर रोजगार प्रदान किया जाता है और तब परिवहन व्यय आदि हेतु आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का 10 प्रतिशत अतिरिक्त भुगतान भी किया जाता है।
- महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराने में प्राथमिकता देते हुए आवेदकों में से एक-तिहाई महिलाओं को लाभान्वित कराने हेतु योजना में प्रावधान है।

- निःशक्तजनों, अपंग, बुजुर्ग व्यक्ति यदि आवेदन करते हैं तो उनकी योग्यता व दक्षता के अनुसार उन्हें काम दिया जाता है, अर्थात् सभी के लिए रोजगार का प्रावधान है।
- योजना के अंतर्गत कार्य करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राज्य शासन द्वारा निर्धारित अथवा सक्षम अधिकारी द्वारा कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 के अंतर्गत निर्धारित मजदूरी पाने का हक है। महिला एवं पुरुषों में मजदूरी भुगतान में कोई भेद-भाव नहीं किया जाता। मजदूरी का भुगतान साप्ताहिक अथवा अधिकतम पाक्षिक आधार पर किया जाता है।
- काम के दौरान चोट लगने पर बिना पैसे के इलाज और अपंग व मृत्यु होने पर मुआवजे का प्रावधान है।
- गाँव में जल, जंगल, जमीन से जुड़े काम और खेती तथा सड़क बनाने एवं सुधारने आदि के काम होंगे। ठेकेदार से काम कराने पर रोक रहेगी।
- योजना के क्रियान्वयन में ठेकेदारी प्रथा प्रतिबंधित है। संरचना की सुरक्षा एवं गुणवत्ता के निर्धारित मापदण्डों को सुनिश्चित करते हुए मानव श्रम के स्थान पर कार्य करने वाली मशीनों (Labour Displacing Machine) का प्रयोग प्रतिबंधित होता है।
- योजना में पारदर्शिता एवं आमजन की भागीदारी बढ़ाने हेतु सामाजिक अंकेक्षण की व्यवस्था है।
- गाँव में काम की देखरेख एवं निगरानी के लिए एक सतर्कता एवं मूल्यांकन समिति होती है। यह समिति काम की निगरानी एवं देखरेख करती है। ग्रामसभा गाँव में कराए गए हर काम की जाँच पड़ताल करेगी अर्थात् क्या काम हुए, काम में कितने मजदूरों ने काम किया, सबको मजदूरी मिली की नहीं, आदि बातों पर ग्रामसभा में बातचीत होती है।
- स्कीम से संबंधित सभी जनता की छानबीन के लिए उपलब्ध कराने की व्यवस्था होना।

16.4 योजना के क्रियान्वयन के मुख्य पहलू

❑ काम पाने की प्रक्रिया

केन्द्र शासन द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों में निवासरत समस्त ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्य इस योजना में लाभ लेने हेतु पात्र हैं। किन्तु योजना के अंतर्गत एक वित्तीय वर्ष में 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने के लिये एक परिवार पात्र होगा। 100 दिन के रोजगार की उपलब्धता को परिवार में निवासरत समस्त वयस्क व्यक्तियों के बीच विभाजित किया जा सकता है। अतः एक पंजीकृत परिवार के समस्त वयस्क व्यक्ति जो रोजगार प्राप्त करने के लिये आवेदन प्रस्तुत करते हैं, 100 दिवस की सीमा के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने हेतु पात्र होंगे। इस हेतु-

(1) परिवार को ग्राम पंचायत क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है।

(2) स्थानीय ग्राम पंचायत में परिवार को पंजीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।

(3) ग्राम पंचायत से परिवार के जॉब कार्ड प्राप्त करना होगा।

(4) जॉब कार्ड के आधार पर अकुशल मानव श्रम करने हेतु आवेदन देना होगा।

(5) अकुशल मानव श्रम करने के लिये तत्पर हो।

ग्राम पंचायत द्वारा पंजीकृत प्रत्येक परिवार जिसके नाम से रोजगार पत्र जारी किया गया है, का वयस्क सदस्य योजनांतर्गत अकुशल मानव श्रम हेतु आवेदन करने का पात्र होगा।

❑ जॉबकार्ड

- पंजीयत परिवारों को ग्राम पंचायत द्वारा रोजगार पत्र (जॉब कार्ड) जारी किया जाता है, जिसमें संबंधितों का पूर्ण विवरण होता है। यह रोजगार पत्र जारी होने के दिनांक से 5 वर्ष के लिये वैध होता एवं प्रत्येक 5 वर्ष की समाप्ति के बाद एक माह के अंदर ग्राम पंचायत द्वारा नवीनीकृत किया जा सकता है।
- जॉब कार्ड बीपीएल सर्वे पर आधारित होता है। जॉब कार्ड में किसी भी प्रकार के परिवर्तन करने हेतु ग्राम पंचायत सक्षम होती है।
- कार्ड गुम होने, खराब होने पर निर्धारित शुल्क जमा करके नया कार्ड बनवाया जा सकता है।

मध्यप्रदेश शासन

जॉब कार्ड

(राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 के अन्तर्गत)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी स्कीम-म.प्र.

वैधता अवधि-2007-08 से 2011-12

❑ काम की जगह पर सुविधाएँ

रोजगार गारंटी योजना के तहत जहाँ पर काम खुलता है, वहाँ पर मजदूरों के लिए कुछ जरूरी सुविधाएँ होना तय किया गया है जैसे-

- आराम के लिए छाया की व्यवस्था और पीने का साफ पानी।
- प्राथमिक इलाज या चोट लग जाने पर उपचार के लिए कुछ दवाएँ।
- काम कर रही महिलाओं के साथ 6 वर्ष से कम उम्र के अगर 5 या अधिक बच्चे हों तो उनकी देखभाल के लिए अलग से एक महिला को काम सौंपा जाना प्रावधानित है।
- काम के दौरान अगर किसी मजदूर को चोट लग जाती है तो उसे इलाज की पूरी सुविधा व पूरी तरह से अपंग हो जाने या किसी की मृत्यु होने पर नियमानुसार मुआवजा देने का प्रावधान है।

❑ बेरोजगारी भत्ता -

काम माँगने के दिन से 15 दिन तक अगर काम न मिले तो आवेदन करने वाले व्यक्ति को बेरोजगारी भत्ता पाने की पात्रता होती है, परंतु एक परिवार को न्यूनतम दर पर प्रदाय की गई मजदूरी तथा बेरोजगारी भत्ते के रूप में प्रदाय की गई राशि दोनों का योग 100 दिन की न्यूनतम मजदूरी से अधिक नहीं हो सकता है।

रोजगार की माँग करने वाला व्यक्ति यदि योजनांतर्गत दिए गए कार्य को नहीं करता है एवं सूचना मिलने के 15 दिवस के भीतर कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं होता है और क्रियान्वयन एजेंसी की अनुमति के बिना निरंतर एक सप्ताह या उससे अधिक अथवा पूरे माह में एक सप्ताह से अधिक अनुपस्थित रहता है तो ऐसे व्यक्ति अधिनियम के तहत तीन माह तक बेरोजगारी भत्ते की माँग नहीं कर सकते हैं।

❑ ग्राम पंचायत, जनपद व जिला स्तर एवं राज्य स्तर की भूमिका

गाँव में इस योजना को लागू करने में ग्राम पंचायत की महत्वपूर्ण भूमिका है। ग्राम पंचायत को निम्नलिखित काम करने होते हैं -

- परिवारों का पंजीकरण करना एवं जिन परिवारों का नाम लिखा हुआ है उनको जॉबकार्ड देना।

- लोगों द्वारा रोजगार के लिए दिए गए आवेदन लेना एवं उन्हें काम कहाँ मिलेगा यह जानकारी देना।
- ग्राम सभा के फैसले के अनुसार कार्यों के प्रस्ताव तैयार करना।
- जो काम होना है उस काम का पूरा अनुमान सब इंजीनियर द्वारा तैयार करवाना।
- निर्माण कार्य के अनुमान में मजदूरी, सामग्री एवं अन्य मद में होने वाले अनुमानित खर्चे का उल्लेख करना।
- जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी/ कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मंजूर काम शुरू करवाना।
- अपने क्षेत्र में किए जा रहे कामों की निगरानी करना।

इसके अलावा जनपद व जिला पंचायत की योजना बनाने एवं उसको लागू करने में अहम भूमिका होती है, जनपद एवं जिला पंचायत द्वारा काम की निगरानी भी की जाती है। जिले के कलेक्टर जिले में बनने वाली योजना की प्रशासकीय मंजूरी जारी करते हैं एवं किए जाने वाले कार्यों के मूल्यांकन एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था करते हैं।

राज्य स्तर पर कार्यक्रम की योजनाएँ कार्य की देखरेख और निगरानी के लिए राज्य रोजगार गारंटी परिषद् बनाई गई है जो योजना के संचालन के लिए राज्य शासन को सलाह देती है एवं केन्द्रीय रोजगार गारंटी परिषद् से आवश्यक समन्वय करती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सुचारू संचालन के लिए मध्यप्रदेश में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। इस विभाग ने योजना क्रियान्वयन हेतु मध्यप्रदेश रोजगार गारंटी योजना परिषद् का गठन किया है। यह एक सशक्त समिति है, जिसके फैसले योजना के संबंध में अंतिम होते हैं।

❑ सामाजिक अंकेक्षण

किसी भी कार्य अथवा योजना की सफलता के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है उसका अंकेक्षण। अंकेक्षण वह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा कराए गए कार्यों का एवं उस पर किए गए व्यय विवरण की जाँच की जाती है। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के सामाजिक अंकेक्षण के अंतर्गत, विभिन्न स्तरों पर किये गए कार्यों, भुगतानों के विवरण, कार्य में कार्यरत मजदूरों की संख्या एवं सामग्री का विवरण या ब्योरा सम्मिलित होता है।

सामाजिक अंकेक्षण का महत्व – हम सभी जानते हैं कि यदि किसी कार्य की जाँच का प्रावधान न हो तो कार्य में शिथिलता आ जाती है तथा वित्तीय हिसाब किताब में गड़बड़ियाँ, भ्रष्टाचार एवं अनियमितताओं की संभावना बढ़ जाती है तथा लोगों की अज्ञानता का कई स्वार्थी लोग अनुचित लाभ उठाने लगते हैं। अत: योजना जिनके लिए बनाई गई है, उन्हें उसका पूरा लाभ मिल सके, उनके साथ पूरा न्याय हो सके तथा योजना लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके इन सब तथ्यों की पूर्ति तथा भ्रष्टाचार अनियमितताओं एवं योजना के क्रियान्वयन में शिथिलता से बचने के लिए योजना का सामाजिक अंकेक्षण एक अनिवार्य आवश्यकता होती है। वस्तुत: योजना एवं उसका सामाजिक अंकेक्षण एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। योजना के सफल क्रियान्वयन की दिशा में अंकेक्षण अत्यंत आवश्यक प्रक्रिया है। यही योजना को उसके अंतिम लक्ष्य तक खींच कर ले जाता है। सामाजिक अंकेक्षण का महत्व निम्नानुसार है–

1. **योजना में पारदर्शिता लाना** – पारदर्शिता से आशय है कि योजना के संपूर्ण तथ्यों की जानकारी सभी को हो, कोई भी बात जनता से छुपी न रहे। पारदर्शिता के कारण जो कुछ होता है वह जनता के समक्ष खुली किताब के रूप में होता है। अतएव न तो जनता अंधकार में रहती है और न ही योजना के क्रियान्वयन में कदाचरण का भय रह जाता है।

2. आमजन की भागीदारी बढ़ाने में महत्वपूर्ण – सामाजिक अंकेक्षण से योजना में आम लोगों की भागीदारी भी बढ़ती है। इसमें लक्षित समूह के साथ समूह चर्चा एवं व्यक्तिगत साक्षात्कार के द्वारा योजना के क्रियान्वयन का विवरण प्राप्त करने का प्रावधान है। योजना संबंधी कार्यों के दस्तावेजों की पुष्टि सभा में उपस्थित मजदूरों से कराने का प्रावधान हैं। साथ ही अनियमितताओं के लिखित नोट पर संबंधित मजदूरों के हस्ताक्षर भी लिए जाते हैं। इस प्रकार सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया इस प्रकार रखी गई है कि योजना में आम ग्रामीण नागरिकों की भागीदारी बढ़ जाती है ओर वे योजना के प्रति सजग व सतर्क हो जाते हैं।

3. उत्तरदायित्व बोध कराने में सहायक – ग्राम सभा एवं ग्रम पंचायतों को योजना के क्रियान्वयन का भार सौंपा गया है। मजदूरों की भागीदारी का प्रावधान भी रखा गया है। अत: सामाजिक अंकेक्षण उन्हें उनके उत्तरदायित्व के निर्वहन के लिए जागरूक बनाता है।

4. अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में सहायक – सामाजिक अंकेक्षण लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाने में सहायक होता है व उन्हें उनके अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम बनाता है।

5. योजना को प्रभावशाली बनाने में सहायक एवं महत्वपूर्ण – योजना के प्रभावी क्रियान्वयन में सामाजिक अंकेक्षण की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। अंकेक्षण के कारण कार्यकर्ता में काम को ठीक से एवं समय पर पूरा करने का भय सा रहता है अथवा भय के स्थान पर कार्य को सही ढंग से निर्धारित अवधि में पूरा कर दिखाने का एक उत्साह बना रहता है व योजना का क्रियान्वयन उचित ढंग से होने लगता है।

6. अनियमितताओं को नियंत्रित करने में सहायक – अंकेक्षण का सर्वाधिक महत्व योजना के उचित क्रियान्वयन एवं अनियमितताओं को नियंत्रित करने में है। समय-समय पर इनका अंकेक्षण होने से कार्यकर्ताओं को मजदूरों की संख्या, कार्य एवं कार्य के प्रकार, कार्यों पर किए गए व्यय राशि का संपूर्ण विवरण रखना पड़ता हैं, जिनकी अंकेक्षण के माध्यम से जाँच की जाती है। जाँच में खरा उतरना यह कर्ताधर्ताओं की जिम्मेदारी होती है। अत: योजना का लाभ जिसे मिलना चाहिए, उसी को मिलता है इससे योजना सफल होती है।

शिकायत निपटाने की समितियाँ –

पंचायत स्तर पर इस योजना में हर स्तर पर शिकायत निपटारे की व्यवस्था है। हर स्तर पर अर्थात ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक शिकायत पुस्तिका रखी जाती है, कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत इस पुस्तिका में दर्ज करा सकता है। हर छह माह में ग्रामसभा किए गए कार्यों की जाँच पड़ताल करती है। कोई गड़बड़ी होने पर ग्रामसभा प्रस्ताव पास कर अनुविभागीय अधिकारी (एस.डी.एम.) को भेजती है। शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी जाँच समिति का गठन करता है। समिति में उसी पंचायत का एक पंच जो निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य ना हो, जनपद का सब-इंजीनियर और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होता है। उस पंचायत क्षेत्र के जनपद सदस्य और संबंधित विभाग के ब्लाक स्तरीय अधिकारी भी समिति में रहते हैं। जाँच की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे सचिव द्वारा ग्रामसभा में पढ़कर सुनाया जाता है। यदि ग्रामसभा तय करती है तो प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकता है। यदि ग्रामसभा मानती है कि गड़बड़ी हुई है तो वह अनुभागीय अधिकारी को कार्यवाही की अनुशंसा करती है। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40, 89, 92 या 100 के तहत कानूनी कार्यवाही की जाती है।

जनपद स्तर पर या कार्यक्रम अधिकारी (सीईओ जनपद पंचायत) की शिकायत पाई जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) जाँच समिति गठित करता है। जाँच समिति अपनी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम समन्वय को देती है और कोई कर्मचारी दोषी पाए जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं अनुशासनात्मक कार्रवाही करता है या संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजता है।

जिला पंचायत स्तर पर जिला कार्यक्रम समन्वयक (कलेक्टर) अथवा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर संभाग आयुक्त एक जाँच समिति का गठन करता है। संबंधित व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर संभाग आयुक्त स्वयं अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हैं अथवा संबंधित विभाग के समक्ष अधिकारी को भेजते हैं।

राज्य स्तर पर शिकायतों का निपटारा मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् करता है।

क्रियान्वयन एजेन्सी के विरुद्ध शिकायत जिला कार्यक्रम समन्वयक कलेक्टर एक समिति का गठन करते हैं जाँच रिपोर्ट में दोषी पाए जाने पर कलेक्टर जाँच रिपोर्ट पर यथोचित कार्रवाई करते हैं। शासकीय अधिकारी या कर्मचारी के दोषी पाए जाने पर कार्यवाही हेतु संभाग आयुक्त संबंधित विभाग को भेजते हैं। साथ ही एक प्रति अपने मत सहित प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को भेजते हैं। मजदूरी न मिलने पर मस्टर रोल में गड़बड़ी की शिकायत को पहले हल किया जाता है। इन शिकायतों को 15 दिन के अंदर निपटाए जाने का नियम है। यदि गंभीर वित्तीय भ्रष्टाचार पाया जाता है, तो थाने में एफ.आई.आर. दर्ज कराई जाती है। शिकायत पर की गई कार्यवाही की जानकारी तत्काल प्रमुख सचिव, पंचायत एवं ग्रामीण विभाग को भेजी जाती है।

16.5 योजना के अंतर्गत कराए जाने वाले कार्य

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराने हेतु कुछ कार्य निर्धारित किए गए हैं। इस अधिनियम में इन कार्यों को कराने का प्रावधान है –

1. जल संवर्धन एवं संरक्षण
2. सूखा रोकने हेतु वनरोपण/वृक्षारोपण
3. सिंचाई हेतु नहरें, लघु एवं मध्यम सिंचाई कार्य
4. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों या गरीबी रेखा से नीचे के कुटुम्बों या भूमि सुधार के हिताधिकारियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अधीन हिताधिकारियों की स्वयं की गृहस्थी भूमि के लिए सिंचाई प्रसुविधा, बागवानी बागान और भूमि विकास प्रसुविधा का उपबंध।
5. परम्परागत जल स्त्रोत संरचनाओं का पुनरुत्थान
6. भूमि का विकास
7. बाढ़ नियंत्रण/सुरक्षा, जल जमाव क्षेत्रों में जल निकासी
8. 12 मासी ग्रामीण पहुँच मार्ग।
9. केन्द्र शासन द्वारा राज्य शासन के परामर्श से अधिसूचित अन्य कोई कार्य।

मध्यप्रदेश राज्य योजना के अंतर्गत क्रियान्वयन एजेंसी के लिए उपयोजनाओं का निर्माण किया है, ये उपयोजनाएँ अधिनियम के अंतर्गत बताए गए कार्यों को क्रियान्वित करने के लिए ही बनाई गई हैं। ये उपयोजनाएँ हैं –

प्रावधान	कार्य	उपयोजनाओं का नाम
		हितग्राही कार्य मूलक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सूची-1 के पैरा 1 (4) में सृजित कार्यों के लिए संचालित योजनाएँ	❑ सिंचाई प्रसुविधा	❑ कपिल धारा
	❑ बागवानी बागान	❑ नंदन फलोद्यान
	❑ भूमि सुधार प्रसुविधा	❑ भूमि शिल्प
	❑ बागवानी बागान	❑ रेशम उपयोजना
	❑ बागवानी बागान	❑ निर्मल वाटिका
	❑ सिंचाई प्रसुविधा	❑ मीनाक्षी
		सामुदायिक कार्य मूलक
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की सूची-1 के पैरा 1 (4) में सृजित कार्यों के लिए संचालित योजनाएँ	❑ जल संरक्षण एवं संवर्धन	❑ शैल-पर्ण
	❑ वृक्षारोपण	❑ वन्या उपयोजना
	❑ नहर निर्माण	❑ सहस्त्र धारा
	❑ सिंचाई	❑ निर्मल नीर
	❑ सिंचाई	❑ नालों पर श्रृंखलाबद्ध जनसंरचनाएँ

16.6 राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का महत्व

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्रामीण अंचलों में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना एक साथ कई उद्देश्यों की पूर्ति करती हैं जैसे- (1) ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी, बेरोजगारी एवं भुखमरी की समस्या के समाधान में सहायक है। (2) ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन को कम करने में सहायक है। (3) महिलाओं को रोजगार के अवसर प्रदान कर उन्हें आर्थिक संपन्नता प्रदान करने में सहायक है। (4) ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी परिसंपत्तियों का निर्माण संभव हुआ है। समाज के निम्न आय वर्ग परिवार की आर्थिक स्थिति के सुधार में सहायक है और उनकी परिसंपत्तियों में वृद्धि करने में सहायक है। (5) पंचायती राज संस्थाएँ - ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायतों को सक्रिय एवं सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन। (6) एक ऐसी ग्रामीण सामाजिक व्यवस्था विकसित करने में सहायक है जो शक्ति संतुलन समता पर आधारित होगी।

इस प्रकार राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना ग्रामीण विकास एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुधार की दिशा में एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम है।

यह योजना केंद्र सरकार ने प्रारंभ की है जो ग्रामीण विकास हेतु अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। इस योजना के क्रियान्वयन एवं फलीभूत बनाने का दायित्व राज्य सरकारों का है।

मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम की धारा 4(1) के अंतर्गत राज्य योजना का गठन किया गया है। मध्यप्रदेश, एक जनजाति बहुल प्रदेश है। कई जनजातियाँ सुदूर अंचलों में निवास करती हैं जहाँ रोजगार, शिक्षा, कृषि, सिंचाई साधनों एवं पेयजल जैसी महत्वपूर्ण सामुदायिक आवश्यकताओं के पूरक साधनों की आवश्यकता है। अतः यह योजना मध्यप्रदेश के लिए लाभकारी है। मध्यप्रदेश शासन, प्रदेश में निवासरत अत्यंत गरीब, परिवारों अनुसूचित जनजातियों को इस योजना के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराकर प्रदेश की स्थिति में सुधार लाने का प्रयास कर रही है।

शब्दावली

वयस्क – वयस्क से आशय ऐसा व्यक्ति से है जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी कर ली है।

आवेदक – आवेदक से आशय किसी गृहस्थी के प्रमुख या उसके अन्य वयस्क सदस्यों में से कोई किसी व्यक्ति से है जिसने स्कीम के अधीन नियोजन के लिए आवेदन किया है।

गृहस्थी – गृहस्थी से आशय किसी कुटुम्ब के सदस्यों से है जो एक-दूसरे से रक्त, विवाह या दत्तकग्रहण द्वारा संबंधित हैं और सामान्यत: एक साथ निवास करते हैं तथा सम्मिलित रूप से भोजन करते हैं या एक सामान्य राशन कार्ड रखते हैं।

न्यूनतम मजदूरी – किसी क्षेत्र के संबंध में न्यूनतम मजदूरी से आशय कृषि श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी अधिनियम 1948 की धारा 3 के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियत न्यूनतम मजदूरी से है, जो उस क्षेत्र में लागू है।

अधिसूचना – अधिसूचना से राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है।

कार्यक्रम अधिकारी – कार्यक्रम अधिकारी से आशय स्कीम को कार्यान्वित करने के लिए धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त किसी अधिकारी से होता है।

ग्रामीण क्षेत्र – ग्रामीण क्षेत्र से तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन स्थापित या गठित किसी शहरी स्थानीय निकाय या किसी छावनी बोर्ड के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के सिवाय किसी राज्य में कोई क्षेत्र अभिप्रेत हैं।

अकुशल शारीरिक कार्य– अकुशल शारीरिक कार्य से कोई भौतिक कार्य अभिप्रेत है, जिसे कोई वयस्क व्यक्ति किसी कौशल या विशेष प्रशिक्षण के बिना करने में समर्थ हैं।

मजदूरी दर– मजदूरी दर से तात्पर्य धारा 6 में निर्दिष्ट मजदूरी दर से है।

अभ्यास

सही विकल्प चुनिए-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार उपलब्ध कराया जाता है-
   (अ) 100 दिवस का (ब) 150 दिवस का
   (स) 200 दिवस का (द) एक वर्ष का
2. सिंचाई से संबंधित योजना है-
   (अ) निर्मल नीर योजना (ब) सहस्त्रधारा योजना
   (स) वन्या उपयोजना (द) भूमि शिल्प योजना

रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए-

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का उद्देश्य .... का सृजन करना है।

2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत उन परिवार के सदस्यों को काम दिया जाता है जिनके पास .... हो।

3. जॉब कार्ड धारक व्यक्ति को यदि रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा सकता तो उसे .... प्रदान किया जाता है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न

1. केंद्र सरकार ने काम का अधिकार लागू करने के लिए कौन सा अधिनियम बनाया है?
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के अंतर्गत किस प्रकार के श्रम का रोजगार दिया जाता है?
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कुल आवेदकों में से कितनी महिलाओं को लाभ पहुँचाया जाता है?
4. जॉब कार्ड संबंधी शिकायत का समाधान कौन करता है?
5. आवेदक को न्यूनतम मजदूरी का अतिरिक्त भुगतान कब किया जाता है?
6. बेरोजगारी भत्ता किसे दिया जाता है?
7. सामुदायिक विकास मूलक कार्यों की किसी एक योजना का नाम बताइए।

लघु उत्तरीय प्रश्न -

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के उद्देश्य बताइए।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में रोजगार की उपलब्धता के विषय में बताइए।
3. सामुदायिक विकास मूलक कार्य संबंधी योजनाएँ कौन-कौन सी हैं? बताइए।
4. जॉबकार्ड क्या है? उसे कैसे प्राप्त किया जाता है?
5. बेरोजगारी भत्ता प्राप्ति की प्रक्रिया बताइए।
6. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में ग्राम पंचायत की भूमिका को स्पष्ट कीजिए।

दीर्घ उत्तरीय प्रश्न

1. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना से आशय, उद्देश्य एवं विशेषताएँ बताइए।
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना क्या है? उसका महत्व स्पष्ट कीजिए।
3. सामाजिक अंकेक्षण का आशय एवं महत्व समझाइए।
4. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शिकायत निपटारे हेतु विभिन्न स्तरों पर की गई व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए।